प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, **सिरोही**, थानाः– सीपीएस जयपुर, **वर्ष 2023**
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या......95/2023...... दिनांक......26/4/2023
2. (1) धारा 7, **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)**
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः– ....
   (3) अधिनियम ....धाराये :–......................................
   (4) अन्य अधिनियम व धारायें :– ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..........................476...समय..........6:25 P.M.
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– **शुक्रवार, दिनांक 10.02.2023, समय 04:30 पी0एम0,**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– **10.02.2023 समय 11:30 ए0एम0,**
4. सूचना की किस्म :– हस्तलिखित,
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–चौकी से बदिश उत्तर–पश्चिम बफासला करीब 80 कि.मी. दूर।
   (ब) पता :– जी.एस.एस. (विद्युत विभाग) चान्दराई, जिला जालोर,
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :– नहीं
6. परिवादी / सूचनाकर्त्ता :–
   1. **श्री नीम्बाराम पुत्र श्री भबुताराम, जाति मीणा, उम्र 42 वर्ष, निवासी न्युरामदेव कॉलोनी जालोर, मोबाईल नम्बर 8529776453 ।**
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
   1. **श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री वीरकाराम, जाति मेघवाल, उम्र 33 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम दयालपुरा, तहसील आहोर, जिला जालोर हाल तकनीकी सहायक–ाा, फीडर ईन्चार्ज पांचोटा, जी.एस.एस. (विद्युत विभाग) चान्दराई, जिला जालोर।**
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–..
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्यः– **<u>रिश्वती राशि की मांग करना,</u>**
11. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो)..
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

सेवामें ,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही।

विषयः— लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांगने पर रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाने बाबत।

महोदयजी,

सादर निवेदन हैं कि मुझ प्रार्थी निम्बाराम पुत्र श्री भबुताराम जाती मीणा उर्म 42 वर्ष निवासी न्युरामदेव कोलोनी जालोर की पैतृक जमीन हल्का पांचोटा गांव प्रतापगढ (गोलिया) तहसील आहोर जिला जालोर में आई हुई है जहा पर एक कुआं बना हुआ है जिसमें से विद्युत मोटर द्वारा पानी निकालकर सिंचाई से कृषि कार्य करता हूॅ यह जमीन मेरे पिताजी व भिका वाला चौधरी के नाम से है जिस पर दिनांक 8/02/2023 को G S S चान्दराई से विद्युत विभाग वाले चैकिग के लीए मेरे कुए पर आए जहा पर मेरी 3 मोटर चल रही थी जीस पर लाईमेन व J E N द्वारा मुझ पर विद्युत चोरी का ईल्जाम लगाते हुए एक चालान बनाया जिसकी प्रती मुझे नही दी और कहा की आप विद्युत चोरी कर रेहे हो मेने कहा कि मैं कोई विद्युत चौरी नही कर रहा हूॅ मेरा कुंए पर लीगल विद्युत कनेक्सन है जिस पर लाईनमैन प्रवीण द्वारा मेरे से 10,000 रू रिश्वत की मांग की तथा कहा कि यह पेसे देगा तो तेरा चालान कम रासी का बनवा दूंगा मै लाईनमेन प्रवीण को रिश्वत नही देकर रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूॅ। मेरा प्रवीण लाईनमेन से कोई पैसो का लेना देने बकाया नही है नही मेरी कोई उससे दुश्मनी है कृपया कानुनी कार्यवाही करावे

दिनांक 10/02/2023

एसडी
निम्बाराम
निम्बाराम S/O भबुताराम
निवासी न्युरामदेव कॉलोनी जालोर
8529776453

कार्यवाही पुलिस

निवेदन हैं कि दिनांक 10.02.2023 वक्त 11:15 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सिरोही हाल अतिरिक्त प्रभार, एसीबी जोधपुर ग्रामीण बमुकाम जोधपुर में था, कि कार्यालय के श्री सोहनराम कानि. नं. 361 ने जरिये मोबाईल अवगत करवाया कि मैं शहादत अदा करने जोधपुर आया हुआ हूं, अभी—अभी प्रार्थी श्री नीम्बाराम निवासी न्यू रामदेव कॉलोनी जालोर से मेरी मोबाईल पर वार्ता हुई हैं, जिसने बताया कि उसका ग्राम पांचोटा तहसील आहोर में कृषि कुआं आया हुआ हैं, जिनसे जीएसएस चांदराई के लाईनमेन प्रवीण द्वारा वी.सी.आर. भरने के नाम पर 10,000 रू. रिश्वत की मांग की जा रही हैं, श्री नीम्बाराम ने यह भी बताया कि मैं वर्तमान में आहोर के आस—पास हूं। लाईनमेन ने आज ही मुझे बुलाया हैं, इसलिए मैं सिरोही आने में असमर्थ हूं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्समय कार्यालय में उपस्थित श्री सोहनलाल कानि. 497 को मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के परिवादी के पास भेजकर उनसे लिखित रिपोर्ट प्राप्त कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर निर्देशानुसार श्री सोहनलाल कानि. नं. 497 को उसी समय मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के एसीबी सिरोही से आहोर की तरफ रवाना किया गया था, जिसने निर्देशानुसार उसी दिन परिवादी के पास पंहुच उसका परिचय प्राप्त कर उनसे **उपरोक्त लिखित रिपोर्ट एंव उसकी कृषि भूमि एंव कृषि कुंआ के बिजली कनेक्शन संबधित दस्तावेजात प्राप्त कर** उसे रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु आरोपी लाईनमेन के पास भेजकर वार्ता करवाई तो आरोपित लाईनमेन द्वारा उनके कुंए पर निर्बाध विद्युत सप्लाई जारी रखने एंव कोई वीसीआर आदि नहीं भरने देने की ऐवज में 5000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर पैसे हाथों हाथ देने का कहा किन्तु परिवादी ने पैसे पास में नहीं होने का कहकर बाद में देने का कहा, उक्त घटनाक्रम के बारे में बमुकाम चांदराई से श्री सोहनलाल कानि. 497 द्वारा जरिये मोबाईल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने पर परिवादी के कहेनुसार दो दिन बाद यानि कि दिनांक 13.02.2023 को मय

रिश्वती राशि 5000 रू. के एसीबी कार्यालय सिरोही में उपस्थित आने बाबत् जरिये श्री सोहनलाल कानि. 497 के पाबन्द करवाकर परिवादी की रिपोर्ट मय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर कार्यालय मालखाना में सुरक्षार्थ रखने हेतु निर्देशित किया गया था। दिनांक 13.02.2023 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त प्रभार एसीबी ओपी जोधपुर ग्रामीण से ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित आया, जिस पर श्री सोहनलाल कानि. 497 ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व परिवादी श्री नीम्बाराम से प्राप्त लिखित रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात मालखाना से लाकर पेश किये एवं बताया कि कुछ ही देर में परिवादी श्री नीम्बाराम चौकी हाजा पर उपस्थित आयेगा लिहाजा परिवादी के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। कुछ देर बाद परिवादी श्री नीम्बाराम ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया, जिसकी पहचान श्री सोहनलाल कानि. 497 द्वारा मन् एएसपी से करवाई गई। प्रार्थी की मौजूदगी में इसके द्वारा पूर्व में प्रस्तुतशुदा लिखित रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर हाजिर परिवादी श्री नीम्बाराम का पूर्ण परिचय प्राप्त किया तो परिवादी ने अपना परिचय श्री नीम्बाराम पुत्र श्री भबुताराम, जाति मीणा, उम्र 42 वर्ष, निवासी न्युरामदेव कॉलोनी जालोर, मोबाईल नम्बर 8529776453 के रूप में दिया। जिसे उसके प्रस्तुतशुदा लिखित रिपोर्ट पढकर सुनाई गई तो परिवादी ने रिपोर्ट में उल्लेखित सभी तथ्य सही होना, रिपोर्ट खुद कलमी होना तथा इस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। साथ ही हस्तलिखित रिपोर्ट के संलग्न स्वयं के पिता श्री भबुताराम वगेराह के कृषि कुएं के विद्युत कनेक्शन के मासिक बिल, इससे संबंधित भूमि की जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी तथा स्वयं के आधार कार्ड की प्रति संलग्न होना पाया गया। अपनी लिखित रिपोर्ट व इस पर करवाये गये रिश्वती राशि मांग सत्यापन के संबंध में परिवादी ने यह भी बताया कि दिनांक 08.02.2023 को मैं मेरे कुएं पर था कि इस दौरान G S S चान्दराई के लाईनमेन श्री प्रवीण जे.इ.एन. मैडम के साथ मेरे कुएं पर आये व मेरे पर बिजली चोरी का इल्जाम लगाते हुए एक कागज पर कुछ नोट करके मुझे लाईनमेन प्रवीण ने कहा कि आपके वीसीआर भर दी हैं। आप मुझे 10,000 रू दे देना तो आपके वीसीआर का निपटारा कर देंगे, नहीं तो आपके खिलाफ केस हो जायेगा। उन्होनें मेरे मांगने के बावजूद भी वीसीआर/चालान की कॉपी नहीं दी व मुझे कहा कि आप तो पैसे लेकर G S S चान्दराई पर आ जाना, आपका वही निपटारा करेंगें। चूंकि मेरे कुएं पर कृषि कनेक्शन लिया हुआ हैं एवं मेरे द्वारा उक्त कनेक्शन पेटे नियमानुसार आने वाले बिल की भरपाई समय-समय पर की जाती हैं। मेरे द्वारा कोई विद्यतु चोरी नहीं की जाती हैं। फिर भी मेरे से वी.सी.आर. की आड़ में लाईनमेन रिश्वत लेना चाहता हैं जो मैं उसे नहीं देना चाहता था, इसी दौरान दिनांक 10.02.2023 को मेरे एक मिलने वाले से इस बारे में बात की तो उसने मुझे एसीबी सिरोही से लाईनमेन के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही का कहते हुए एसीबी सिरोही के श्री सोहनराम नामक एक कर्मचारी के मोबाईल नम्बर दिये, जिस पर मैंने कॉल किया किन्तु बात नहीं हुई, कुछ देर बाद श्री सोहनराम का मेरे पास कॉल आया तो मैंने लाईनमेन द्वारा रिश्वत मांगने की बात उन्हें बताई तो उन्होनें मुझे सिरोही आने का कहा तो मेरे पास समय नहीं होने से असमर्थता जाहिर की, जिस पर उन्होनें अपने अधिकारी से बात कर वापस मुझे बताया कि आप चान्दराई में ही मिलना आपके पास हमारे एसीबी का श्री सोहनलाल कानि. जिसके मोबाईल नम्बर 9799756429 हैं, जिसे आपके मोबाईल नम्बर दे दिये गये हैं, जो चान्दराई पंहुच आपसे सम्पर्क करेगा। जिसे अपनी कार्यवाही बाबत रिपोर्ट पेश कर देना। जिस पर निर्देशानुसार मैं वहीं चान्दराई में एसीबी के श्री सोहनलाल कानि. का इन्तजार करने लगा कि वक्त करीबन पौने चार-चार बजे उक्त श्री सोहनलाल ने मोबाईल कॉल कर स्वयं का चान्दराई पहुंचना बताया, जिसे मैंने जीएसएस के पास मिलने हेतु बुलाया जिस पर वो मेरे पास आया जिसे मैंने उपरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजो के पेश कर हालात बताये। जिस पर श्री सोहनलाल कानि. ने टेप रिकॉर्डर ऑन कर मुझे देकर प्रवीण लाईनमेन से रिश्वत राशि मांग की वार्ता करने हेतु रवाना किया तो मैं जीएसएस चान्दराई में गया तो मुझे प्रवीण लाईनमेन वहीं हाजिर मिला। जिनसे मैंने मेरे

वीसीआर के बारे में बात की तो उसने कुछ देर बात करने के पश्चात् मेरे से 5,000 रू. रिश्वत की मांग करते हुए कहा कि यह राशि मुझे दे दो तो आपके चालान की गारण्टी मेरी हैं, आप चाहो तो स्टाम्प पर लिखवाकर ले लो, नही तो तेरे फालतू में ही 40–42 हजार रू. का बनायेगी, इससे तो अच्छा हैं कि हाथों हाथ मुझे अभी 5000 रू. दे दे, जिस पर मैंने मेरे पास उस समय पैसे नहीं होने का कहा तो उसने मेरे कुंए के साझेदार श्री रूपजी चौधरी को फोन लगाकर उससे मेरे सामने बात की एंव कहा कि नीम्बजी जालोर से आये हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, आप इनके पांच हजार रू. दे दो, ये आपको दे देगें, तो रूपजी ने लाईनमेन को कहा कि मेरे पास दस हजार रू. थे किन्तु कल किसी को दे दिए, इसलिए आज मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, जिस पर उसने मुझे कहा कि अभी का अभी कहीं से व्यवस्था करके दे दे, नहीं तो छः बजे बाद भर देगी फिर तेरे कोई मतलब नहीं रहेगा, जिस पर मैंने पास में पैसे नहीं होने से बाद में देने का कहा एंव वहां से बाहर आकर श्री सोहनलाल कानि. के पास नियत जगह पर पंहुचा व उन्हें टेप रिकॉर्डर दिया जिसे उन्होनें स्वीच ऑफ कर अपने पास रख लिया, जिस पर मैंने लाईनमेन से हुई वार्ता का उपरोक्त घटनाक्रम सोहनलाल कानि. को सुनाया, व उन्हें कहा कि मैं दो दिनों में 5000 रू. की व्यवस्था कर लूंगा, फिर सोहनलाल कानि. ने मोबाईल पर आपसे बात कर मुझे आज के दिन दिनांक 13.02.2023 को 5000 रू. सहित एसीबी ऑफिस सिरोही आने का कहा था, एंव तत्पश्चात मुझे फारिक कर श्री सोहनलाल सिरोही की तरफ निकल गये एंव मैं मेरे घर जालोर चला गया, इसलिये मैं आज दिनांक 13.02.2023 को 5000 रू लेकर यहां आया हूॅं। हाजिर श्री सोहनलाल कानि. द्वारा परिवादी के उपरोक्त तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि करीब 5.00 पीएम पर परिवादी एसओ. से वार्ता कर वापस मेरे पास आ गया था। तत्पश्चात परिवादी की लिखित रिपोर्ट बाद अवलोकन शामिल रनिंग नोट कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर ऑन कर रिवर्स कर इसमें रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप सुना गया तो परिवादी श्री नीम्बाराम व श्री सोहनलाल कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद होते हुए आरोपित लाईनमेन द्वारा वी.सी.आर. नहीं भरने देने की ऐवज में परिवादी से 5000 रू रिश्वत राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। जिस पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। परिवादी ने बताया कि आज सुबह से मैं आरोपी से मोबाईल पर सम्पर्क करने की कोशिश कर रहा हूॅं किन्तु उसका मोबाईल स्वीच ऑफ आ रहा हैं। परिवादी श्री निम्बाराम के मोबाईल नम्बर 8529776453 से आरोपी श्री प्रवीण लाईनमेन के मोबाईल नम्बर 9145868860 पर कॉल करवाया गया तो आरोपी का मोबाईल स्वीच ऑफ होना पाया गया। इसके बाद भी दो–तीन बार ओर परिवादी से कॉल करवाकर आरोपित लाईनमेन से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, किन्तु उससे सम्पर्क नहीं हो सका। लिहाजा परिवादी को आइन्दा आरोपी के सम्पर्क करने या होने पर अविलम्ब मन् एएसपी या श्री सोहनलाल कानि. 497 को सूचित करने की हिदायत देकर फॉरिक किया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् एएसपी द्वारा कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखे जाकर चाबी स्वयं के पास रखी गई। इसके पश्चात दिनांक 14.02.2023 से 26.02.2023 तक मन् एएसपी अतिरिक्त प्रभार एसीबी चौकी जोधपुर ग्रामीण में राजकार्य से व्यस्त रहा। इस बीच कार्यालय स्टाफ श्री सोहनलाल कानि. के माध्यम से पता करवाया गया तो आरोपी द्वारा रिश्वती राशि हेतु परिवादी से सम्पर्क नहीं करना सामने आया था। दिनांक 27.02.2023 को चौकी हाजा पर पहुंच आरोपी श्री प्रवीण लाईनमेन की उपस्थिति व परिवादी से रिश्वती राशि की मांग हेतु सम्पर्क करने के बारे में श्री सोहनलाल कानि. के माध्यम से परिवादी श्री नीम्बाराम से मालुमात करवाया गया तो परिवादी ने बताया कि आरोपित लाईनमेन ने अपने पुराने मोबाईल नम्बर चैंज कर दिये हैं तथा सम्पर्क करने पर बताया कि मेरा फोन सर्विलेन्स पर लगा हुआ हैं आप मेरे से सम्पर्क मत करना। मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा, आप जानो और जेइएन साहब जाने। जिस पर परिवादी को फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता सहित शेष कार्यवाही पूर्ण करने हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर अतिशीघ्र ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित

आने हेतु पाबन्द करवाया गया, तो परिवादी ने बताया कि मैं संविदा पर राजस्थान रोडवेज बस में चालक का कार्य करता हूं, डिपो से मुझे छुट्टी मिलते ही मैं एसीबी ऑफिस सिरोही उपस्थित हो जाउंगा। लिहाजा परिवादी के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात अतिरिक्त प्रभार, एसीबी ओपी जोधपुर के राजकार्य में व्यस्त रहा।

दिनांक 14.03.2022 को चौकी हाजा पर पंहुच परिवादी की तलबी हेतु श्री रमेशकुमार कानि. नं0 119 से परिवादी की चौकी हाजा पर तलबी करवाने पर दिनांक 15.03.2022 को परिवादी श्री नीम्बाराम ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया व बताया कि दिनांक 13.02.2023 को यहां से जाने के बाद एक–दो बार आरोपित लाईनमैन श्री प्रवीण के मोबाईल नम्बर 9145868860 पर कॉल किया किन्तु उसका मोबाईल स्वीच ऑफ ही मिला, जिस पर मैं स्वयं एक बार जीएसएस चान्दराई गया किन्तु लाईनमैन वहां हाजिर नहीं मिला, वहां पर एक प्राईवेट आदमी मिला जिसने बताया कि मुझे नहीं पता कि श्री प्रवीण लाईनमेन कहां हैं। इसके बाद मैंने मेरे एक परिचित को भी एक बार लाईनमैन का पता करने के लिये जीएसएस पर भेजा किन्तु लाईनमैन वहां नहीं मिला। इस बीच दिनांक 22.02.2023 को सांय 4:55 पीएम पर मोबाईल नम्बर 8003611126 से मेरे मोबाईल नम्बर 8529776453 पर लाईनमैन प्रवीण ने मुझे कॉल कर बताया कि अभी मुझे आपसे कोई पैसे नहीं लेने हैं, पहले दे देता तो ले लेता, अब आप जानो और जेईएन जाने, मुझे आपके मामले की कोई जानकारी नहीं हैं, अब मेरे पास आप बिल्कुल भी मत आना आदि कहकर फोन काट दिया, उसके बाद चूंकि मैं राजस्थान रोडवेज बस में ड्राईवर हूँ, मुझे अवकाश नहीं मिलने से आपके पास मैं सिरोही नहीं आ सका, आपकी तलबी पर कल किसी बहाने से अवकाश लेकर हाजिर आया हूँ। लाईनमैन श्री प्रवीण को मेरे ही एक साथी ने सतर्क कर दिया था, इसलिये उसे एसीबी कार्यवाही की भनक लग गई हैं, अब वो मेरे से किसी प्रकार की रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करेगा, इसलिए अब आगे की कार्यवाही करवाना संभव नहीं हैं, जिस पर प्रकरण हाजा में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग–सत्यापन वार्तालाप मुर्तिब करने हेतु गवाहान की आवश्यकता होने से श्री चेलाराम हैड कानि 109 के माध्यम से जरिये तेहरीर कार्यालय आयुक्त नगर परिषद सिरोही से दो स्वतंत्र गवाहान श्री गणपतलाल कनिष्ठ अभियन्ता व श्री विनोदकुमार कनिष्ठ सहायक को ब्यूरो कार्यालय पर तलब कर इन्हें बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर पूर्ण परिचय प्राप्त किया गया। बाद हाजिर परिवादी श्री नीम्बाराम से उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान का परस्पर परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.02.2023 दोनों गवाहान को पढकर सुनाया एंव पढाया गया। रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर रिवर्स/फोरवर्ड कर दोनों गवाहान को सुनाई गई। दोनों गवाहान ने भी परिवादी से विस्तृत पूछताछ कर तसल्ली कर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने दिनांकित हस्ताक्षर कर कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति प्रदान की। तत्पश्चात चौकी हाजा में परिवादी एंव दोनों स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी श्री नीम्बाराम एवं आरोपी श्री प्रवीण लाईनमेन के मध्य दिनांक 10.02.2023 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग–सत्यापन की वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकॉर्ड थी, को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री नीम्बाराम के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग–सत्यापन वार्तालाप मुर्तिब की गई। वार्तालाप की कार्यालय के कम्पयुटर के माध्यम से दो पैन ड्राईव तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर मार्क D अंकित कर थेली व फर्द पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरे पेन ड्राईव को डब मानते हुये खुली हालत में रखा गया। इस दौरान आरोपी श्री प्रवीण लाईनमेन व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री नीम्बाराम द्वारा की गई। बाद प्रकरण हाजा में परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान से संबधित आगे की कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से परिवादी श्री नीम्बाराम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री गणपतलाल कनिष्ट अभियन्ता व श्री विनोदकुमार कनिष्ट सहायक को फॉरिक कर रूखसत दी गई। आरोपित श्री प्रवीण लाईनमैन

का सेवा विवरण प्राप्त करने पर पूर्ण नाम एवं पदनाम श्री प्रवीणकुमार तकनीकी सहायक–II, फीडर ईन्चार्ज पांचोटा, जी.एस.एस. (विद्युत विभाग) चान्दराई, जिला जालोर होना पाया गया।

प्रकरण हाजा में उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री प्रवीणकुमार तकनीकी सहायक–II, फीडर ईन्चार्ज पांचोटा, जी.एस.एस. (विद्युत विभाग) चान्दराई, जिला जालोर द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री नीम्बाराम निवासी न्यू रामदेव कॉलोनी जालोर के ग्राम पांचोटा गांव प्रतापगढ (गोलिया) तहसील आहोर, जिला जालोर के खेत खसरा नम्बर 17 में उनके पिताजी श्री भबूताराम के नाम आये हुऐ कृषि कुएं पर कृषि विद्युत कनेक्शन की वी.सी.आर. भरने की आड़ में 5000 रू. रिश्वत की मांग करना पाया जाने से आरोपी श्री प्रवीणकुमार तकनीकी सहायक–II, फीडर ईन्चार्ज पांचोटा, जी.एस.एस. (विद्युत विभाग) चान्दराई, जिला जालोर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है।

अतः **आरोपी श्री प्रवीण कुमार** पुत्र श्री वीरकाराम, जाति मेघवाल, उम्र 33 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम दयालपुरा, तहसील आहोर, जिला जालोर हाल तकनीकी सहायक–II, फीडर ईन्चार्ज पांचोटा, जी.एस.एस. (विद्युत विभाग) चान्दराई, जिला जालोर के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें।

भवदीय

(ओमप्रकाश चौधरी)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सिरोही,

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ओमप्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री वीरकाराम, तकनीकी सहायक-ıı, फीडर ईन्चार्ज पांचोटा, जी.एस.एस. (विद्युत विभाग) चान्दराई, जिला जालोर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 95/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

26.4.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 742-45 दिनांक 26.04.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जालोर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही।

26.4.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।